डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)
NAAC द्वारा B^{++} मान्यता प्राप्त

प्रवेश 2020–2021

प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

शैक्षिक सत्र 2020–21 में स्नातक प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र मागें जा रहे है। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश निम्न है:–

1. प्रवेश प्रक्रिया की सभी सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.org.in पर 21 जुलाई 2020 से उपलब्ध होगीं। छात्र/छात्राओं को यह परामर्श है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचनाऐं जानने के लिये उसे नियमित चेक करते रहें।
2. आवेदक ध्यान रखें कि शुल्क अथवा पात्रता मापदंड एंव प्रिटिंग या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटियॉ आवेदनकर्ता को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकार को सुनिश्चित् नहीं करेगी। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को पाठ्यक्रम का वास्तविक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
3. आवेदनकर्ता के लिये यह अति आवश्यक है कि जिस पाठ्यक्रम में वह प्रवेश लेने का इच्छुक है उसके पात्रता मापदंड को अच्छी तरह से जॉच कर ही सही आवेदन पत्र भरे। अपात्र होने की दशा में आवेदक का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. प्रवेश के लिए आरक्षण नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण के नियमों के अनुरूप लागू होगें।
5. आवासीय सस्थानों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में आवेदन न आने पर उक्त पाठ्यक्रम को संचालित न करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। ऐसी दशा में आवेदनकर्ता द्वारा जमा कराया गया शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
6. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी पात्रता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों को निश्चित अवधि में जमा करने में सफल नहीं होता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में सारा उत्तरादायित्व अभ्यर्थी पर ही होगा और उसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

7. माननीय न्यायालय/सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी दिशा–निर्देश अथवा शुल्क परिवर्तन सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा। शुल्क अथवा अन्य दिशा–निर्देश बिना किसी पूर्व सूचना के अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होंगे।

8. अल्पसंख्यक संस्थान उ0प्र0 सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगें।

9. अभ्यर्थी द्वारा एक बार जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं होगा। अगर कोई अभ्यर्थी प्रवेश उपरान्त शुल्क वापसी चाहता है तो प्रवेश के दस दिनों के भीतर उसे 'प्रवेश निरस्त' का आवेदन करना अनिवार्य है जिसका सत्यापन सम्बन्धित निदेशक/विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य से कराना होगा। इस दशा में अगर अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में एक भी दिन उपस्थित नहीं रहा है तो उसके शुल्क का 75 प्रतिशत शुल्क लौटा दिया जायेगा।

10. अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के पश्चात् भी अगर किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी नियम/शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह अभ्यर्थी पर लागू होगा। इस दशा में पृथक रूप से कोई भी सूचना पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा सत्र 2020–21 द्वारा बनाये गये नियमों एवं भारांक (Weightage Marks) आदि का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा। भारांक सम्बन्धी नियम वेबसाइट पर 21 जुलाई, 2020 से उपलब्ध होगें।

12. आवेदन पत्रों को निम्न स्थिति में निरस्त किया जायेगा यदिः

    (1) वह प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद जमा हुआ हो।

    (2) वह अमान्य अथवा अपूर्ण प्रमाण–पत्रों के साथ जमा किया गया हो।

    इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

****